

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 23, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-96/2020/वा.क.(आब.)/पांच(123).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करने वाले सद्भावी यात्रियों को अपने निजी उपभोग के लिए एक क्वार्ट से अनधिक मदिरा, बिना किसी प्रतिबंध के आयात कर सकने के प्रावधान, पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर जांच केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 3-96/2020/वा.क.(आब.)/पांच(123).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-96/2020/वा.क.(आब.)/पांच(123), दिनांक 08-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 8th December 2020

NOTIFICATION

No. F 3-96/2020/CT(Ex.)/V(123).— In exercise of the powers conferred under section 10 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), in order to have an effective control on the provision of, travellers entering the state could import a maximum of one quart bottle of liquor for personal consumption without restriction, the State Government hereby allows to establish check points at air-ports, railway stations and bus-stands within the state.

2. This shall be applicable from the date of issue of the notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A.P. TRIPATHI, Special Secretary.